

# विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

अक्टूबर-2012

## शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)45/11	आलोक कुमार को प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद से बिना पूर्व नोटिस के संविदा नियुक्ति को निरस्त करने के संबंध में ।	21.09.2012	जिला शिक्षा अधीक्षक चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)34/11	झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची द्वारा द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उप समाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 2010 विज्ञापन सं. 09/2010 अन्तर्गत उम्र सीमा निर्धारण के संबंध में श्री नवीन चन्द्र प्रसाद का परिवाद ।	03.10.2012	परिवाद झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया ।

## राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व)04/12	जमीन का मापी नही करने के संबंध में श्री नवल किशोर मिश्रा कोकर राँची का शिकायत ।	03.10.2012	अंचलाधिकारी राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद दो निजी लोगों का मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।

2.	02/लोक(राजस्व)21/09	स्व0 सीताराम मंडल , भूतपूर्व जनसेवक बेंगाबाद के आश्रित मो0 शशिकला देवी से प्राप्त शिकायत ।	03.10.2012	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार सभी वैद्य देय पावनाओं का तथा पेंशन का भुगतान कर दिया गया । अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व)29/07	स्व0 मकिनुल हक प्रधान सहायक सिसई प्रखण्ड गुमला के सामान्य भविष्यनिधि लेखा सं0 MED-8773 में संचित राशि का अद्यतन सूद गणना के साथ भुगतान नहीं करने के संबंध में।	10.10.2012	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादीनी को उनके स्व0 पति के भविष्य निधि के संचित राशि का भुगतान कर दिया गया । अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(राजस्व)11/09	स्व0 चुण्डा कस्कू सहायक अंचल कार्यालय पाकुड़ का सेवा काल में मृत्यू उपरान्त पेंशन का निर्धारण नहीं किये जाने के संबंध में मो0 सजनी मराण्डी से प्राप्त शिकायत ।	04.10.2012	उपायुक्त पाकुड़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को परिवाद का निराकरण कर दिये जाने के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(राजस्व)68/11	श्री नरेश प्रसाद मंडल पिता स्व0 कामेश्वर मंडल द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह अंचला अधिकारी सरैयाहाट श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध जबरदस्ती जमा बन्दी जमीन में पी.सी.सी. रोड बनवाने संबंधित ।	11.10.2012	उपायुक्त दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार अनुमंडलाधिकारी द्वारा जमाबन्दी जमीन पलाट नं0 866/6 से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जा चुका है। अतः आदेश का पालन नहीं होने पर परिवादी को विधि संवत कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए ।
6.	02/लोक(राजस्व)12/12	अंचल कार्यालय नामकुम के अधिकारियों के द्वारा रसकारी कार्यों में विलंब के संबंध में श्री बोरिरल एक्का से प्राप्त शिकायत ।	10.10.2012	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी द्वारा दायर परिवाद आधारहीन तथा तथ्य से परे रहने के कारण परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
7.	02/लोक(राजस्व)14/11	श्री बिरेश्वर प्रसाद सेवा निवृत्त सहायक लिपिक बरही अंचल को पुनरीक्षित पेंशन/उपादान निर्धारण एवं कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ देने के संबंध में शिकायत ।	04.10.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अलोक में परिवादी से प्राप्त बैंक खाता सं0 के अनुसार पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र उनके संबंधित बैंक सेन्ट्रल बैंक बरही ब्रांच को भेज दिया गया । अतः परिवाद को बन्द करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
8.	02/लोक(राजस्व)03/12	घूस नहीं देने के कारण भू-सत्यापन का आवेदन अस्वीकृत करने के संबंध में श्री श्याम ननंदन सिंह देवघर का शिकायत ।	26.10.2012	संबंधित परिवाद सब-जज-2 देवघर के न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।

## पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पुलिस)02/11	नगर उंटारी पुलिस द्वारा आरोपी को बचाने तथा मामले को रफा दफा करने के संबंध में श्रीमती देवन्ती कुवर से प्राप्त शिकायत ।	10.10.2012	मामले पर नगर उंटारी पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है अतः इस अवस्था में मामले में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(पुलिस)10/11	डॉ० गुलफाम मुजीबी अध्यक्ष अल्प संख्यक आयोग के द्वारा परिवादी एवं उनके किरायेदारों को ब्लैक मेल कर रंगदारी मांगने तथा झूठे मुकदमें में फसाने के धमकी देने के संबंध में ।	18.10.2012	वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो पाने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)14/11	बोकारो जिलान्तर्गत बेरमो थाना के दो पदाधिकारियों के प्रताड़ना के विरुद्ध राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने पर मुझे एवं मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फसाने के संबंध शाह हुसैन बख्श का परिवाद ।	03.10.2012	परिवादी द्वारा इसी विषय पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट सं. W.P.(Cr)21/12 दाखिल किया है जो लम्बित है। उक्त के आलोक में परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(पुलिस)14/11	श्री अशोक कुमार आरक्षी उपाधीक्षक सेवानिवृत्त का सेवानिवृत्त तिथि का विनियमन करते हुए सेवा निवृत्त के अतिरिक्त लाभ एवं संशोधित पी.पी.ओ. निर्गत करने के संबंध में ।	01.10.2012	विशेष सचिव गृह विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 01.08.2004 से दिनांक 21.12.2005 डॉ के परामर्श से अपने घर पर बिताया था अतः उक्त अवधि के विनियमन नहीं हो सकेगा । उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(गृह) 01/12	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा होटवार में सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य गुणवत्ता व मात्रा में घोर अनियमितता के संबंध में विलियम माराण्डी का शिकायत ।	09.10.2012	कारा महानिरीक्षक झारखण्ड राँची तथा माननीय लोकायुक्त द्वारा गठित जांच दल के रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये आरोप निराधार पाये जाने के आलोक में परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
6.	02/लोक(गृह) 02/12	रविशंकर कुमार मंडलकारा का केस न० G.R. 282/09 का DIG (पुलिस) से जांच कराने के संबंध में ।	03.10.2012	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा परिवाद माननीय न्यायालय में लम्बित है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

7.	02/लोक(पुलिस)11/12	आरक्षी अधीक्षक रामगढ़ को बारबार निवेदन करने के बाद भी रामगढ़ थाना काण्ड सं0 44/10 का चार्ज शीट न्यायालय में समर्पित नहीं करने के संबंध में।	11.10.2012	पुलिस अधीक्षक रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार काण्ड सं 44/10 से संबंधित जांचरिपोर्ट तथा चार्जशीट माननीय न्यायालय में दिनांक 06.08.2012 को समर्पित कर दिया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
----	--------------------	---	------------	--

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1	01/लोक(पेय जल)10/05	श्री श्याम सुन्दर प्रसाद बनाम कार्यपालक अभियंता पी.एच.ई.डी. सरायकेला खरसावां कार्यालय भवन का किराया भुगतान के संबंध में ।	01.10.2012	परिवादी द्वारा परिवाद की अद्यातन स्थिति से कार्यालय को अवगत नहीं कराने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(पेय जल)01/12	श्री वाल्मिकी शर्मा को पद के अनुरूप वेतनमान में वेतन निर्धारण कर बकाया वेतन अन्तर राशि भुगतान करते हुए सेवानिवृत्त लाभ के बदले समतुल्य नगद राशि के भुगतान के संबंध में परिवाद।	03.10.2012	प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को उनके सभी देय पावनाओं का भुगतान माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कर दिया के आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया ।

## ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(ग्रा0वि0वि0)16/11	मृत्यु उपरान्त देय लाभों का भुगतान एवं पेंशन निर्धारण के संबंध में परिवादीनी भारती डे का शिकायत ।	03.10.2012	उपायुक्त दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के सभी वैद्य देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिए जाने के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

2.	01/लोक(ग्रा0वि0वि0)11/11	गुमला जिला अन्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा जल पथ प्रमंडल के अभियंता द्वारा ग्राम सभा के अधिकारों का अतिक्रमण करने के संबंध में श्री सुरेन्द्र उराँव मुखिया का परिवाद।	10.10.2012	उपायुक्त गुमला के प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित वाद पूर्व में ही मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गुमला के अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। परिवाद बन्द कर दिया गया।
3.	02/लोक(ग्रा0वि0वि0)26/12	भविष्य निधि कार्यालय पलामू के सहायक द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं करने के संबंध में श्री सरोज कुमार शर्मा का शिकायत।	11.10.2012	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी पलामू के प्रतिवेदन तथा परिवादी के मंतव्य के अनुसार परिवादी के सभी परिवाद का निराकरण हो गया। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया।
4.	01/लोक(ग्रा.वि.वि.)09/11	कुरडेग प्रखण्ड अन्तर्गत गलत ढंग से अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति के लिए इन्दिरा आवास हेतु बनाई गई प्रतिक्षा सूची के संबंध में श्री दिलमोहन साहू का शिकायत।	15.10.2012	उपायुक्त सिमडेगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार इन्दिरा आवास के लाभार्थियों के प्रतिक्षा सूची में उत्पन्न लिपिकीय त्रुटि का निराकरण करते हुए नया प्रतिक्षा सूची के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया गया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।

### पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पथ)04/12	राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 33 में बकाया राशि के भुगतान के संबंध में श्री संजय कुमार सिंह का शिकायत।	01.10.2012	परिवादी द्वारा इस परिवाद पर पूर्व में राज्य मानव अधिकार आयोग में परिवाद दाखिल किया गया था जिस पर 27.08.2012 को आदेश पारित कर संचिकास्त किया जा चुका है। अतः इस दशा में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं हैं। अतः परिवाद को निरस्त कर दिया गया।

### कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)03/12	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंहा सेवा निवृत्त लिपिक को सेवान्त लाभ एवं प्रोन्नति लाभ नहीं मिलने तथा सेवा सत्यापित	03.10.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी के सभी वैद्य देय पावनाओं का भुगतान हो जाने के उपरान्त

		कराने के संबंध में शिकायत पत्र ।		परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कृषि)09/08	श्री हरि लाल संवेदक मटवारी गांधी नगर हजारीबाग को कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद कार्य प्रमंडल हजारीबाग मुख्यालय बाजार प्रांगण धनबाद द्वारा गोदाम निर्माण का बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	11.10.2012	कार्यपालक अभियंता झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद कार्य प्रमंडल हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को अनुबंध की राशि को संशोधित करते हुए बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया। अतः परिवादी को बकाया राशि का अधितम का भुगतान कर दिया गया अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(कृषि)05/12	सेवानिवृत्त जन सेवक श्री सतीश प्रसाद मंडल को सेवानिवृत्त के दो साल बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में परिवाद ।	11.10.2012	उपायुक्त बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी के मंतव्य के आलोक में परिवादी के सभी वैधानिक बकाया का भुगतान कर दिया गया के आलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(कृषि)03/08	श्री सुनील कुमार सिंह अनुसेवक प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हेहल राँची का लम्बित काया वेतन पर परिवादीनी श्रीमती विजय लक्ष्मी का शिकायत ।	11.10.2012	सचिव कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इसी मामले पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं. 226/12 लम्बित है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद को निरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## खाद्य आपूर्ति विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(खाद्य आ.)04/11	परमेश्वर प्रसाद वर्णवाल ग्राम पुटकी बाजार मोड़, पो0 कुसुन्डा, धनबाद के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग अनुमंडल धनबाद श्री दिलिप कुमार सिंह एवं अन्य के विरुद्ध परिवाद ।	10.10.2012	उपायुक्त धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद पत्र लगाये गये आरोप जांचुपरान्त सही नहीं पाया गया के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त के द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा)15/11	श्री सुलेश्वर प्रसाद सेवा निवृत्त प्रधान टंकक का वेतनमान 6500-200-10500 करने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	03.10.2012	उप सचिव स्वा० विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया के अलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

2.	02/लोक(स्वा0)01/06	सदर अस्पताल देवघर में प्रतिनियुक्त ब्रजकिशोर यादव द्वारा लोगों को परेशान करने एवं झुठे मुकदमों में फसाने से संबंधित विषयों की जांच एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।	03.10.2012	पुलिस अधीक्षक देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवदी द्वारा प्रतिवेदी से आपसी समझौता करके परिवाद का निपटारा कर लिया गया है । उक्त आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
3.	02/लोक(स्वा0)13/11	श्री सुरेन्द्र नाथ ठाकुर का सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन के भुगतान के संबंध में ।	03.10.2012	संबंधित विभाग के सचिव से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(स्वा0)07/06	स्वा0 राम एकबाल सिंह, प्रधान लिपिक का मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी चिन्ता देवी को देय राशि का भुगतान के संबंध में ।	03.10.2012	सिविल सर्जन देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के एवं परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के अलोक में परिवदीनी के सभी वैद्य देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया के उपरान्त परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(स्वा0)11/08	श्री तुलसी महतो सेवा निवृत्त पाक्षक सदर अस्पताल राँची का सेवापुस्त का सत्यापन नहीं करवाने के संबंध में शिकायत ।	03.10.2012	सिविल सर्जन राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के एवं परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अलोक में परिवदी के सभी वैद्य देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया के उपरान्त परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
6.	02/लोक(स्वा0)17/11	बकाया पेंशन पुनरीक्षण , बकाया पेंशन उपादान अन्तर राशि एवं उपार्जित अवकाश अन्तर राशि के लंबित भुगतान के संबंध में श्रीमती पारूल रानी बनर्जी का शिकायत ।	04.10.2012	सिविल सर्जन गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादीनी का परिवाद का निराकरण कर दिया गया है के आधार पर परिवाद बन्द कर दिया गया ।
7.	02/लोक(स्वा0)48/08	आयुष चिकित्सको की नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर अनियमितता एवं धांधली करने के संबंध में श्री महेन्द्र नाथ का शिकायत ।।	10.10.2012	परिवाद पूर्व में ही निगरानी कोर्ट में लम्बित है अतः इस परिवाद पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## खान एवं भूतत्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(खान भू0)01/12	सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अंतिम वेतन तथा उसके आधार पर सेवानिवृत्ति का लाभांश नहीं मिलने के संबंध में तिलकधारी राम	26.10.2012	प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वितीय ए. सी. पी. के लाभ से संबंधित मामला विभाग में प्रक्रियाधीन है । अतः

		पलामू का शिकायत ।		परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
--	--	-------------------	--	--

## वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(वन)03/06	परिवादी श्री विरेन्द्र कुमार सिंह के रैयति जमीन में अवैद्य ढंग से वन रक्षी करुणा कर सिंह द्वारा तालाब खुदवा देने के संबंध में ।	03.10.2012	उपायुक्त चतरा से प्राप्त जाच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी द्वारा लगाये गये आरेप सही नहीं पाया गया। अतः उक्त प्रतिवेदन के आधार पर परिवादी पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वन)01/09	स्व० काशी नाथ राम भूतपूर्व वनरक्षी के निधन उपरान्त उनके उत्तराधिकारी विधवा पत्नी श्रीमती आशा देवी को मृत्यू सह सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	03.10.2012	वन प्रमंडल पदाधिकारी साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अलोक में परिवादी के सभी मामले का निपटारा कर दिये जाने का उल्लेख है। अतः परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(वन)04/12	प्रोन्नति एवं सुपर टाईम स्केल से वंचित करने के संबंध में श्री साधुशरण लाल सेवा निवृत्त वनपाल कोडरमा का शिकायत ।	03.10.2012	
4.	02/लोक(वन)05/12	वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी नहीं दिया जाना एवं कुप्रशासन/अव्यवस्था के संबंध में ।	15.10.2012	परिवाद मनरेगा लोकपाल को अग्रतर कार्रवाई के प्रेषित करते हुए परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(वन)03/06	वेतन सुधार तथा भविष्यनधि लेखा के संबंध में श्री उगेशवर राय सेवानिवृत्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारी	18.10.2012	D.F.O हजारीबाग द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उनके सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया। उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।



## कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(स0क0)01/12	सुनीर कुमार झा, लिपिक समाहरणालय संवर्ग सराय केला के विरुद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में श्री नरेश कुमार झा का परिवाद ।	26.10.2012	उपायुक्त सरायकेला खरसांवा के प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित लिपिक पर लगाये आय से अधिक सम्पति के आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त के द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## विविध

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)02/08	श्री नरेन्द्र कुमार भारतीय स्टेट बैंक गोरई करमा बरही जिला हजारीबाग द्वारा जेल भेजने की धमकी देकर के सी. सी. लोन जमा करवा कर 30000/रु. लोन नहीं देने के संबंध में श्रीमती उर्मिला देवी का शिकायत ।	03.10.2012	परिवादीनी श्री नरेन्द्र कुमार तत्कालिन ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया बरही के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते हैं । अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(विविध)03/11	श्री दरोगी सिंह सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक के पेंशन संशोधन एवं वेतन संरक्षण प्रदान करने से संबंधित शिकायत ।	15.10.2012	परिवादी का पेंशन निर्धारण कई प्राधिकारों के साथ साथ महालेखकार के द्वारा जांच के पश्चात नियमानुकूल पाया गया तथा इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(न०वि०वि०)02/11	झारखण्ड राज्य में जल संकट की समस्या से निजात दिलाने के संबंध में श्री मनोज कुमार मुख्य संयोजक टीम, सम्पूर्ण पर्यावरण जागरूकता आन्दोलन राँची का शिकायत।	4.10.2012	सचिव नगर विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राँची नगर निगम से प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
2.	02/लोक(न०वि०वि०)02/12	जिला प्रशासन द्वारा राँची शहर के सुन्द्रीकरण योजना में फुटपाथ दुकानदारों को हटा कर उन्हें आवंटित किये गये दुकानों पर कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध दखल कब्जा के संबंध में श्री राजेन्द्र वर्मा का शिकायत।	03.10.2012	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यपालक पदाधिकारी राँची नगर निगम द्वारा पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। परिवाद बन्द कर दिया गया।

## आवास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(आवास)02/11	श्री नरसिंग प्रसाद प्लैट नं० -302 श्री कृष्णा अपार्टमेंट शुक्ला कॉलोनी हिन्नु राँची बनाम प्रबंध निदेशक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड एवं अन्य।	08.10.2012	सचिव आवास बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अग्रधन वापसी हेतु दिनांक 13.12.2005 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। अतः परिवादी उक्त विज्ञापन के आलोक में आवेदन देता है तो अग्रधन वापसी की कार्रवाई की जा सकती है। इस रिपोर्ट पर परिवादी से मंतव्य की मांग की गई परन्तु अप्राप्त रहने के कारण परिवाद बन्द कर दिया गया।

## विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वि.प्रा०)01/12	सेवा निवृत्त कर्मचारी को पेंशनादि की राशि के भुगतान से संबंधित श्री राधेश्याम सेवानिवृत्त लिपिक राजकीय पॉलटेक्निक धनबाद का शिकायत ।	18.10.2012	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा कृत्य कार्रवाई प्रतिवेदन एवं परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सभी वैधानिक देय पावनाओं का किया जा चुका है तथा बाकि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक (सहकारिता) 08/11	माण्डर प्रखण्ड अन्तर्गत ब्राम्बे लैम्पस द्वारा वर्ष 2009-10 में खरीफ फसल बीमा किसानो को भुगतान नहीं किये जाने संबंधी अकलेश का शिकायत ।	03.10.2012	जिला सहकारिता पदाधिकारी राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी के मंतब्य के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(सह)02/12	रानरडीह पैक्स अंचल करों में कार्यरत मानदेय कर्मी श्री नंद किशोर राम को तत्कालिन पैक्स अध्यक्ष द्वारा 20000/रु. घूस मांगने के संबंध में ।	10.10.2012	पुलिस महानिदेशक निगरानी ब्यूरो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार पाये जाने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

# शिकायत / परिवाद

अक्टूबर, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं. 590 / 12	सूचना आयोग के कर्मचारी अधिकारी एवं न सूचना पदाधिकारी के मिली भगत करके गलत तरिके से अपिल निष्पादन करने के संबंध में श्रीमती पूर्णिमा देवी का शिकायत ।	03.10.2012	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संबंधित शिकायत का उपचार स्वयं सूचना के अधिकार अधिनियम में व्याप्त है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है ।
2.	शिकायत सं. 308 / 12	बाबा वैद्यनाथ मन्दिर प्रबंधक बोर्ड क भ्रष्टाचार में लिप्त रहने एवं मन्दिर कर्मियों के उपर खुलो आम मनमानी करने एवं प्रताड़ित करने के संबंध में ।	03.10.2012	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा बाबा वैद्यनाथ मन्दिर प्रबंधक कमिटी का गठन किया जा चुका है तथा कमिटी न्यायालय के दिशानिर्देश में काम कर रही है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
3.	शिकायत सं० 510 / 12	कनीय अभियंता श्री महेन्द्र तांती द्वारा गौचर भूमि पर पंचायत भवन बनाने के संबंध में मो० कमरूलहक द्वारा दायर परिवाद ।	03.10.2012	परिवाद न तो कुप्रशासन और न भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
4.	शिकायत सं०. 638 / 12	पथरगामा चौक स्थित जिला परिषदके दुकान के सामने से अतिक्रमण हटाने के संबंध में श्री हरिलाल यादव का शिकायत ।	03.10.2012	परिवादी को परिवाद के निराकरण के संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः परिवादी को उसका लाभ लेना चाहिए। परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं हैं
5.	शिकायत सं० 657 / 12	नापी शुल्क जमा करने के बावजूद भी भू- खण्ड का नापी नहीं करने के संबंध में श्री विश्वजीत विश्वास पाकुड. का शिकायत ।	03.10.2012	परिवादी को परिवाद के निराकरण के संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः परिवादी को उसका लाभ लेना चाहिए। परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं हैं। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।

6.	शिकायत सं. 417/11	अंचलाधिकारी देवघर द्वारा देवघर टाउन प्लान प्लॉट नं0 275 और 276 के दक्षिण सड़क पर किये गये अतिक्रमण को न हटाना	03.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं0 611/12	सड़क से अतिक्रमण हटाने के संबंध में श्री दीपनरायण साह गोड्डा का शिकायत ।	03.10.2012	परिवादी को परिवाद के निराकरण के संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः परिवादी को उसका लाभ लेना चाहिए। परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं हैं। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं0 646/12	श्री रामप्रवेश सिंह अनुबंध अनुसेवक को कार्याल में कार्य, गाड़ी चलवाना एवं निजी कार्य करवा कर शोषण करना एवं मना करने पर मानदेय बंद करने की शिकायत ।	03.10.2012	इस प्रकार के परिवाद में परिवादी को अपने विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन देना चाहिए । परिवाद पर किसी प्रकार के कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अतः परिवाद बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 632/12	गोला थाना काण्ड सं 72/2012 द्वारा बसंत कुमार कुशवाहा को अवैद्य विद्युत कनेक्शन के आरेप मे झुठा केस में फंसाने के संबंध में शिकायत ।	03.10.2012	केस दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा केस में जांच कार्य चल रही है अतः इस स्थिति में इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 633/12	राजस्व कर्मचारी सत्यम भरद्वाज के द्वारा सरकारी अभिलेख के साथ छेड़ छाड़ कर घोटाला के संबंध में आरजो देवी का शिकायत ।	05.10.2012	यह परिवाद भू-स्वामित्व एवं अधिकार से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं0 588/12	जमीन को गलत तरिके से दुसरे के नाम बेचने के संबंध में श्री अजय कुमार रजक गिरिडीह का शिकायत ।	01.10.2012	परिवाद पूर्ण रूप से सिविल प्रकृति का है तथा परिवादी को इस संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
12.	शिकायत सं. 655/12	अवैद्य रूप से खनन करने तथा राजस्व की चोरी करने के संबंध में श्री राजू साव का शिकायत ।	01.10.2012	परिवाद दो लोगों का आपसी विवाद से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।

13.	शिकायत सं0 59/12	बी. आई.टी मेसरा को झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता में अनियमितता के संबंध में श्री संजय कुमार का शिकायत ।	03.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 680/12	132/33,के.बी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिलाने के संबंध में श्री दीपक कुमार निराला का शिकायत ।	11.10.2012	परिवादी को परिवाद के निराकरण के संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः परिवादी को उसका लाभ लेना चाहिए। परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं हैं। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं0 579/11	दुमका जिले के पूर्व खनन पदाधिकारी अपने पदस्थापन के दौरान गलत तरीके से खनन पट्टा अपने रिश्तेदार के नाम से करने के संबंध में ।	10.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 647/12	खनन विभाग तथा उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार के विभिन्न एम. आ. यू. तथा आवंटन में अनियमितता के संबंध में श्री मुकेश कुमार का शिकायत ।	04.10.2012	इसी मामले पर शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया गया है जो लम्बित है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
17.	शिकायत सं0 01/10	श्री राजकमल प्रसाद द्वारा श्री उमा नरायण राम को भू-दान में मिली भूमि हड़पने व बेदखल करने एवं भूदान कार्यालय तथा पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचार के संबंध में ।	08.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं. 649/12	अवैद्य रूप से 10 वन प्रमंडल पदाधिकारियों को बर्खास्त कर वेतन एवं अन्य भत्तों से वंचित कर नयी नियुक्ति करने के संबंध में श्री बन्ना गुप्ता विधायक का शिकायत ।	04.10.2012	इस प्रकार के परिवाद जो नियुक्ति से संबंधित है सेवा शर्त के अन्तर्गत आते हैं जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं । अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 145/12	आई.टी.आई दुमका में करोड़ों रुपये का घोटाला प्राचार्य श्री दलवीर सिंह द्वारा करने के संबंध में श्री अमित	03.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया

		कुमार लाल का शिकायत ।		गया ।
20.	शिकायत सं0 521/12	मलेरिया विभाग पलामू में बहुदेशीय कार्यकर्ता पुरुष पद पर चयन में अनियमितता के संबंध में श्री रामानन्द राम डालटनगंज का शिकायत ।	11.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने तथा परिवाद किसी दुसरे व्यक्ति के नाम से गलत पता देकर दाखिल करने के कारण परिवाद को निरस्त कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 586/12	किसी भी जिला के उपायुक्त एस.पी. जिला जज को भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी में लिप्त रहने संबंधि शिकायत ।	01.10.2012	शिकायत पूर्ण रूप से अस्पष्ट तथा सामान्य प्रकृति का है एवं शिकायतकर्ता द्वारा परिवाद पत्र पर अपना हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया ।
22.	शिकायत सं0 623/12	अवैद्य कार्यों में संलिप्त होकर अकुट संपत्ति अर्जित करने और धानराशि जमा करने से संबंधित श्री दिलीप कुमार दुमका का शिकायत	01.10.2012	परिवाद किसी निजी व्यक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
23.	शिकायत सं. 431/12	राँची में लम्बे समय से कार्यरत झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध चल अचल संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री दुर्गा उराँव राँची का शिकायत ।	11.10.2012	छदम परिवादी तथा अपर्याप्त पता के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
24.	शिकायत सं. 242/11	रिश्वत नहीं देने पर हल्का कर्मचारी एवं अमीन द्वारा नापी नहीं करने के संबंध में श्री सनातर कुमार सिंह का शिकायत ।	15.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
25.	शिकायत सं0 439/12	Alice Institute of Technology , Nawagarh, Angara Ranchi को All India Council for Technical Education से मान्यता बहाल करने के संबंध में श्री जय शंकर जयपुरियार का शिकायत ।	15.10.2012	परिवाद से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में लम्बित है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 10(4)(क) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
26.	शिकायत सं0 442/12	Alice Institute of Technology , Nawagarh, Angara Ranchi को All India Council for Technical Education से मान्यता बहाल करने के संबंध में श्री अर्जुन विश्वकर्मा का	15.10.2012	परिवाद से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में लम्बित है । अतः परिवाद झारखण्ड

		शिकायत ।		लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 10(4)(क) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
27.	शिकायत सं0 265/12	एक ही स्थान पर 15 वर्षों से जमे रह कर भ्रष्टचार में लिप्त होने के संबंध में श्री बेलाल अहमद , साहेबगंज का शिकायत ।	17.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
28.	शिकायत सं0 214/12	श्री के. के. वर्मा मुख्य अभियंता झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्डद्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री ए. प्रभाकर , राँची का शिकायत ।	17.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
29.	शिकायत सं0 12/12	राजस्व कर्मचारी श्री गयासुद्दिन अंसारी लापुंग द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त तथा अकूत संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह यादव राँची का शिकायत ।	17.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
30.	शिकायत सं. 33/12	खनन विभाग के चपरासी अगिनदेव सिंह के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री आफताब चौधरी, थाना रोड गुमला का शिकायत ।	17.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
31.	शिकायत सं. 310/12	परिवादी श्री जय प्रकाश मिश्रा द्वारा RTI का प्रयोग कर सूचना मांगने पर टेल्को पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करने के संबंध में ।	11.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
32.	शिकायत सं. 660/12	जय कुमार सिंह की संदेहास्पद स्थिति में हुई मृत्यु के संबंध में जांच हेतु श्री विरेन्द्र कुमार सिंह दुमका का शिकायत ।	10.10.2012	शिकायत में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है तथा मामला माननीय न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद को नरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
33.	शिकायत सं. 184/12	मनरेगा मजदूरी भुगतान में आवेदक के जानकारी के बगैर डाकघर हरिहर गंज द्वारा बचज खाता से निकासी के संबंध	11.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने तथा



		में श्री अजय गोस्वामी को शिकायत।		अनय व्यक्ति के द्वारा परिवादी के नाम से शिकायत करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
34.	शिकायत सं0 433/12	श्रीमती कुमुद चौधरी के कुकृत्यों के जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति पदक देने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	20.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
35.	शिकायत सं0 725/12	आवेदिका उर्मिला देवी को अपनी जमीन में चारदिवारी देने हेतु सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	20.10.2012	शिकायत माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
36.	शिकायत सं. 190/12	चतरा जिला सदर थाना काण्ड सं. 133/10के विरेन्द्र यादव हत्या काण्ड में थाना प्रभारी ने दोषियों को बरी एवं निर्दोष लोगों को फसाने के संबंध में शिकायत।	03.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
37.	शिकायत सं0 170/12	भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना मांगने पर झुठा एवं संगीन मुकदमा में फसाने के संबंध में शिकायत।	10.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
38.	शिकायत सं0 645/12	आवेदक गुलो भुईयां को हरिजन जाति का जानकर गाली गलौज एवं उत्पीड़न करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	01.10.2012	शिकायत से संबंधित मामला न्यायालय में लम्बित है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
39.	शिकायत सं. 226/12	थाना प्रभारी देवदाड श्री अजय तिवारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध वसूली करने एवं गरीबों को बेवजह सताने के संबंध में श्री राजनाथ मुर्मू का शिकायत।	01.10.2012	शिकायत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत पता देकर दाखिल करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
40.	शिकायत सं. 235/12	सुमन गुप्ता DIG पलामू का नजायज ढंग से मुख्यालय से बाहर रहने के संबंध में श्री रमेश सिंह का शिकायत।	01.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।

41.	शिकायत सं. 622/12	डोरण्डा थाना काण्ड सं. 409/11 दिनांक 08.10.2011 में परिवादी श्री महेश राम को छिन्तई केस में फसाने के संबंध में शिकायत ।	03.10.2012	इस प्रकार के मामले में परिवादी को पुलिस महानिदेशक झारखण्ड के समक्ष अपील करना चाहिए। अतः परिवाद को पुलिस महानिदेशक झारखण्ड को प्रेषित करते हुए परिवाद बन्द कर दिया गया ।
42.	शिकायत सं0 500/12	शादी कर धोखा देने के संबंध में रमावती देवी का शिकायत ।	01.10.2010	परिवाद को राज्य महिला आयोग को प्रेषित करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
43.	शिकायत सं0 661/12	गढ़वा जिला अन्तर्गत ग्राम खरौद्या के मुख्य पथ (खाता 108 प्लाट 711) से अतिक्रमण हटाने के संबंध में श्री विरोद कुमार ओझा का शिकायत ।	08.10.2012	परिवाद किसी लोकसेवक के विरुद्ध न होकर निजी व्यक्ति से संबंधित होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
44.	शिकायत सं. 683/12	पूर्व मुखिया याकूब अंसार के गलत करतूतों के विरुद्ध जांच व कार्रवाई करने के संबंध में मो0 मुन्ताज अंसारी का शिकायत ।	10.10.2012	परिवाद किसी लोकसेवक के विरुद्ध न होकर निजी व्यक्ति से संबंधित होने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
45.	शिकायत सं. 21/12	श्री सुशील कुमार सिंहा द्वारा अवैध तरिके से लाखों की चल अचल संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री ठाकुर चन्द्र महतो धनबाद का शिकायत ।	18.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
46.	शिकायत सं 607/12	परिवादी अशोक केसरी को रामकनाली ओ.पी. प्रभारी अशुतोष प्रताप नरायण के द्वारा धमकाने एवं रिश्वत मांगने के संबंध में शिकायत ।	01.10.2012	संबंधित परिवाद कतरास थाना काण्ड सं. 160/12 न्यायालय में लम्बित है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
47.	शिकायत सं0 249/12	तत्कालिन थाना प्रभारी सुन्दर नगर थाना श्री हरिशंकर सिंह एवं श्री भोला प्रसाद सिंह द्वारा घोर घूसखोरी करने क संबंध में श्री विजय कुमार सिंह का शिकायत ।	01.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
48.	शिकायत सं0 710/12	बोकारो स्टील सिटी थाना काण्ड सं.135/12 में आरोपी निमाई दत्ता पर कार्रवाई करने के संबंध में श्री सागर डे का शिकायत ।	20.10.2012	परिवादी को सर्व प्रथम लिखित शिकायत संबंधित जिला के पुलिस अधिक्षक को देना चाहिए। इसी आशय के साथ परिवाद बन्द कर दिया गया ।

49.	शिकायत सं. 697 / 12	परिवादीनी के पति श्री निर्भय कुमार सिन्हा , सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद में विगत 16 वर्षों के सेवा होने के बाद भी प्रोन्नति नहीं दिये जाने के संबंध में श्रीमती ज्योति सिन्हा हजारीबाग का शिकायत ।	10.10.2012	शिकायत सेवा शर्त नियमावली से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
50.	शिकायत सं0 640 / 12	अनिता देवी पर अमानवीय अत्याचार एवं उसकी हत्या का मुकदमा बिरनी काण्ड सं0 91 / 12 के संबंध में श्री प्रमोद कुमार राम का शिकायत ।	4.10.2012	परिवाद पूर्व में ही बिरनी थाना काण्ड सं0 91 / 12 के रूप में दर्ज है तथा जांच जारी है और माननीय न्यायालय में लम्बित है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
51.	शिकायत सं. 462 / 12	कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित जन सूनवाई को निरस्त करने के संबंध में श्री योगेन्द्र साव सदस्य झारखण्ड विधान सभा बड़कागांव हजारीबाग का शिकायत ।	15.10.2012	शिकायत भारत संस्कार के नियंत्राधीन कम्पनियों के विरुद्ध किया गया जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
52.	शिकायत सं. 676 एवं 684 / 12	झारखण्ड में फर्जी (Coal Linkage) CCI के माध्यम से पंतिमाह अरबों के घोटाला के संबंध में श्री बिरेन्द्र कुमार एवं अन्य कोयला व्यवसायी संघ फुसरो बोकारो का शिकायत ।	10.10.2012	शिकायत भारत संस्कार के नियंत्राधीन कम्पनी सी. सी. एल. के विरुद्ध किया गया जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
53.	शिकायत सं0 709 / 12	बरही थाना काण्ड सं0 24 / 12 दिनांक 06.06.12 केद्वारा गलत प्यवेक्षण टिप्पणी देने के संबंध में श्री बसंत कुमार राणा का शिकायत ।	18.10.2012	अपराधिक मुकदमा माननीय न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
54.	शिकायत सं. 465 / 12	सहकारिता विभाग के कई पदाधिकारी धनबाद जिले में ही लगभग बीस वर्षों से एक ही सथान पर पदस्थापित रह कर लूट खसोट करने के संबंध में ।	17.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
55.	शिकायत सं0 675 / 12	5000 रु0 का बंदरबांट कर गबन करने के संबंध में श्री पिकू यादव का शिकायत ।	20.10.2012	शिकायत बिना किसी सबूत तथा मंनगढ़ंत रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
56.	शिकायत सं. 179 / 12	राजधनवार निबंधन कार्यालय में दस्तावेज नवीसो को बिना अनुज्ञप्ति काम नहीं करने देने की शिकायत ।	03.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के

				कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
57.	शिकायत सं. 473/11	व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम के अतिरेक कर्मियों का समायोजन के फलस्वरूप सेवा/वेतन विसंगति के संबंध में लखन प्रसाद कर्मचारी संघ का शिकायत ।	11.10.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।
58.	शिकायत सं. 377/12	विष्णुकान्त महतो सहायक शिक्षक पहाड़पुर गोड्डा पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप ।	10.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
59.	शिकायत सं. 296/12	श्रीमती लिलि बिनती सिंह सहायक शिक्षिका गोमो के वेतन खाते में कम राशि जमा होने की शिकायत ।	15.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
60.	शिकायत सं. 663/12	सेवान्त लाभ बकाया रहने के संबंध में श्री बिलेश्वर दे का शिकायत ।	10.10.2012	इसी विषय पर पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वाद सं- WP(s) No. 3254/2008 में आदेश पारित किया जा चुका है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
61.	शिकायत सं. 629/12	श्री कपिलदेव प्रसाद सिंह, मोबाईल दरोगा , धनबाद पर अनियमितता एवं अवैद्य वसूली के संबंध में श्री राजेश कुमार सिंह का शिकायत ।	15.10.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
62.	शिकायत सं 656/12	पुनरीक्षित वेतन पर पेंशन एवं उपादान के संशोधन के संबंध में श्री धीरेन्द्र कुमार गोरई का शिकायत ।	18.10.2012	शिकायत न तो कुप्रशासन से संबंधित है और न ही भ्रष्टाचार से संबंधित है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है ।

